

2017/00361

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक -रीडर/ 2022/ 257

दिनांक :- 25/8/2022

मुकदमा नंबर 326 /2107

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. उकसिंह पुत्र नारायणसिंह</li> <li>2. बाबूसिंह पुत्र नारायणसिंह</li> <li>3. लक्ष्मणसिंह पुत्र नारायणसिंह सभी जातियान राजपुरोहित निवासी सूरसिंह का ढाणा (जागसा) तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. भगवानसिंह पुत्र फूआजी</li> <li>2. गोविंदसिंह पुत्र फूआजी जाति राजपुरोहित निवासी सूरसिंह का ढाणी (जागसा) तहसील पचपदरा।</li> <li>3. मंजूदेवी पुत्री फूआजी पत्नी घेवरचंदजी जाति राजपुरोहित निवासी इन्द्राणा तह0 सिवाना जिला बाडमेर।</li> <li>4. मोहन पुत्र पूंजा दर्जी निवासी सूरसिंह का ढाणा (जागसा)</li> <li>5. जबरसिंह पुत्र बालाजी</li> <li>6. भगवानसिंह पुत्र वालाजी</li> <li>7. वधुदेवी पत्नी वालाजी</li> <li>8. रघुदेवीसिंह पुत्र वालाजी जातियान राजपुरोहित निवासी सूरसिंह का ढाणा</li> <li>9. भीखा पुत्र जगमालजी जाति राजपुरोहित निवासी सूरसिंह का ढाणा (जागसा)</li> <li>10. मोटाराम पुत्र जवानजी</li> <li>11. जोधाराम पुत्र मगनाजी</li> <li>12. चेलाराम पुत्र जोधारा सभी जाति कलबी निवासी जागसा</li> <li>13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा।</li> <li>14. ग्राम पंचायत जागसा जरिये सरपंच जागसा।</li> </ol>

आदेश

दिनांक :- 25.8.2022

उपर्युक्त प्रकरण मौजा सूरसिंह का ढाणा पटवारी क्षेत्र जागसा भू-निरीक्षक क्षेत्र जसोल तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं0 879 रकबा 33 बीघा 07 विस्वा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगद्दी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमिश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित किया जाता है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।

(नरेश सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा

दिनांक :- 25/8/22

क्रमांक /रीडर/ 2022/ 258

प्रतिलिपि :-

तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवायें।

उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा